

मीडिया और लोकतन्त्र

सम्पादक
प्रो. रवीन्द्रनाथ मिश्र



वाणी प्रकाशन



वाणी प्रकाशन

4695, 21-ए, दरियागंज, नयी दिल्ली 110 002

शाखा

अशोक राजपथ, पटना 800 004

फ़ोन: +91 11 23273167 फ़ैक्स: +91 11 23275710

www.vaniprakashan.in

vaniprakashan@gmail.com

MEDIA AUR LOKTANTRA

Edited by Prof. Ravindranath Mishra

ISBN : 978-93-5072-412-5

Media/Criticism

© 2013 सम्पादक व लेखकगण

प्रथम संस्करण

मूल्य : ₹ 250

इस पुस्तक के किसी भी अंश को किसी भी माध्यम में प्रयोग करने के लिए प्रकाशक से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य है।

न्यू कृष्णा ऑफ़सेट, दिल्ली-110093 में मुद्रित

वाणी प्रकाशन का लोगो मक़बूल फ़िदा हुसेन की कूची से

हिन्दी, लोकतन्त्र और मीडिया

भगवानदेव पाण्डेय

भाषा देश की पहचान होती है। जिसमें सभ्यता, संस्कृति प्रतिबिम्बित होते हैं। हमारा देश भाषा के सन्दर्भ में समृद्ध है। देश में अनेक समृद्ध भाषाएँ हैं, जिनका इतिहास वर्षों पुराना है। ये जीवन के कार्य-व्यापार की विरासत हैं। मुगलों के आक्रमण के पश्चात हमारे शास्त्र, वाङ्मय एवं कला के विकास का रास्ता रोका गया तो अंग्रेजों ने हमारे धर्म पर प्रश्न खड़ा करके उसे पीछे ढकेल दिया। लार्ड मैकाले ने देश का शासन तन्त्र और शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाकर देशवासियों को इंग्लैंड का बौद्धिक गुलाम बना दिया, जिससे आज भी हम अंग्रेजी भाषा की जूठन चाटने में गौरव समझते हैं। लगता है हमें अपनी भाषा पर विश्वास नहीं रहा।

भारत में हिन्दी सबसे सशक्त भाषा मानी जाती है। यह राष्ट्रीय एकता, सम्पर्क और जनभाषा है। यह भारतीय नवजागरण की वाहिका थी और आज आम लोगों की भाषा है। इसको महर्षि दयानन्द सरस्वती, महात्मा गाँधी, सरदार बल्लभभाई पटेल, नेता जी सुभाषचन्द्र बोस ने भारतीय जनमानस में जागृति लाने के लिए सम्पर्क और जनभाषा के रूप में अपनाया। 1905 में काशी नागरी प्रचारणी सभा में आयोजित सम्मेलन में तिलकजी ने देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी को स्वीकृत करने का अनुरोध किया था। महात्मा गाँधी ने हिन्दी में राष्ट्र भाषा बनने के सभी गुण पाये थे। 1905 में ही श्री अरविन्द ने वन्देमातरम् के अग्रलेख में हिन्दी की पैरवी सर्वमान्य रूप में की थी। 1875 में बंगाल के आचार्य केशवचन्द सेन ने भारत की एकता के लिए हिन्दी को अपनाने के लिए कहा था। स्वतन्त्रता आन्दोलन से जुड़े सभी नेता चाहते थे कि देश की सम्पर्क भाषा हिन्दी बने। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राज-काज की भाषा की समस्या खड़ी की गयी। 14 सितम्बर को हिन्दी को राज भाषा घोषित कर दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 343 में है “देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी संघ की राजभाषा होगी।” आगे चल कर राजभाषा अधिनियम 1963 तथा अधिनियम 1976 पारित हुआ और हिन्दी के प्रति कुचक्र और षड्यन्त्र शुरू हो गया। संशोधित अधिनियम ने एक लम्बी द्विभाषी स्थिति लागू करके हिन्दी के राष्ट्र

भाषा के अस्तित्व पर ही प्रश्न-चिह्न लगाने का प्रयास किया जाने लगा। निरन्तर सत्ता परिवर्तन होता रहा लेकिन सरकार की भाषा नीति में बदलाव नहीं आया।

आजादी से पूर्व एक राष्ट्र में बंधने की चाहत, भारतीयता एवं अंग्रेजों से पृथक होने का भाव हिन्दी देती थी। हिन्दी स्वाधीनता तथा हृदय की भाषा थी। आज वह हृदय की भाषा के स्थान पर स्वार्थ सिद्धि की भाषा बना दी गयी है। इसमें अधिकारी, विभाग, प्रबन्धन, नीति सब कुछ है, लेकिन भाषा को हृदय में उतारने का भाव नहीं है। अपनी विकास यात्रा में हिन्दी ने अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, अंग्रेजी आदि से शब्दों को लेकर स्वयं को समृद्ध तथा सजीव बनाया है।

स्वतन्त्रता देश प्रेमियों के बलिदान का परिणाम है। स्वतन्त्रता के पश्चात हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए भाषा समृद्धि के नाम पर 15 वर्षों के लिए टालकर अंग्रेजी को थोपे रखने का बहाना गढ़ा गया। फलतः शासकों और नीति नियन्ताओं की बेहतरी का अंग्रेजी माध्यम बनी रही। अंग्रेजी के साथ कुछ विशिष्ट एवं हिन्दी वालों से अलग दिखने का भाव भी बना रहा। लेकिन अब बाजार ने हिन्दी को नये सिरे से शक्ति तथा नया आधार उपलब्ध कराया है। हिन्दी भाषी क्षेत्रों में पाँव पसारने के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को आज हिन्दी का सहारा आवश्यक हो गया है। बहुत पहले से हिन्दी के प्रचार-प्रसार में हिन्दी की फिल्में अपनी भूमिका निभाती रही हैं। आज बाजारवाद के विस्तार के दौर में टेलीविजन चैनल यही कार्य कर रहे हैं। भारत में हिन्दी को लेकर लोगों का दृष्टिकोण बदल रहा है। वास्तव में हिन्दी एकता का सूत्र है। इसमें हम अपने सभी औपचारिक एवं शासन सम्बन्धी कामकाज करते हैं। आज क्षेत्रीय, जातीय तथा इलाकई भाषाओं का दुराग्रह, भारतीय राजनीति की स्थायी बुराई के रूप में स्थापित होता जा रहा है। फिर भी हिन्दी अपनी जीवन्तता के कारण स्वतः फैल रही है। लोगों के बीच राष्ट्रीय सम्पर्क भाषा के रूप में बोल चाल से ही भाषा जीवित भी रहती है और फैलती भी है।

हिन्दी मिलनसार और उदार दोनों है। जहाँ जाती है वहाँ की बन जाती है—हैदराबादी, कलकत्तिया, मुम्बइया, गुजराती आदि। इसका प्रभाव हिन्दीतर भाषी प्रान्तों में ही नहीं, हिन्दी प्रान्तों में भी है। स्टेशन, स्पष्ट ब्रज में—इस्टेशन, इस्पष्ट, बिहारी में—अस्पष्ट, इस्टेशन, हरियाणा में—सपष्ट, सटेशन बोला जाता है। वास्तव में शब्द समाज की सहमति से बनाये जाते हैं। शब्दों का निर्माण सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि कई कारकों से होता है। शब्दों के अर्थ प्रसंग के अनुसार बदल जाते हैं। शब्द देश, काल, समाज, परिस्थितियों के अनुरूप अपने अर्थ बदलते रहते हैं।

हिन्दी को जब राष्ट्र भाषा का दर्जा दिया गया तभी से उसके विरुद्ध षडयन्त्र शुरू हो गये। यद्यपि उसे स्वतन्त्रता आन्दोलन तथा नव जागरण की वाहक होने के कारण राष्ट्र भाषा की हैसियत पहले ही मिल चुकी थी। यह समाज सुधार के

आन्दोलन का माध्यम थी। ब्रह्म समाज के नेता केशवचन्द्र सेन के आग्रह पर स्वामी दयानन्द ने अपने विचारों के प्रचार और ग्रन्थों की रचना के लिए हिन्दी को अपनाया तथा सभी देशवासियों को हिन्दी सीखने को प्रेरित किया था। लेकिन हमारे नेताओं ने देश की स्वतन्त्रता को अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए प्रयुक्त किया और ब्रिटिश नौकरशाही, सेना, पुलिस, न्याय व्यवस्था आदि के स्वरूप को उनके जैसा ही रखा। इसी क्रम में उनमें उन क्षेत्रों से हिन्दी के विरोध एवं अंग्रेजी को बनाये रखने की बात उठवाई गयी जो ब्रिटिश राजभक्त थे और वहाँ अंग्रेजी पढ़े-लिखे वर्गों का निहित स्वार्थ बन गयी थी। वहाँ हिन्दी को राजभाषा के पद से हटाने के लिए दंगे कराये गये तथा हिन्दी का अपना स्थान छीनकर अंग्रेजी को स्थापित कर दिया गया। हिन्दी अजनबी बन गयी।

भारतीय शासक-नेता सभी सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों के कामकाज को अंग्रेजी में चलाते रहे, उच्च शिक्षा की भाषा पर अंग्रेजी का प्रभुत्व रहा। माँ-बाप अपने बच्चों को रोजगार की चिन्ता में, अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में भेजने को बाध्य कर दिये गये। शिक्षा के अधिकार के कानून में यही व्यवस्था की गयी है।

अंग्रेजी माध्यम ने सबको शिक्षित करने के संविधान को तहस-नहस कर दिया है। लोकतन्त्र खत्म है। जैसे सामन्ती एवं साम्राज्यवादी काल में सरकारी कामकाज की भाषा को आम जनता की भाषा से अलग रखा जाता था, जिससे सरकारी तंत्र की मनमानी चलती थी, वही प्रक्रिया हमारे देश में आज भी चल रही है।

संविधान में प्रावधान था कि अंग्रेजी सहभाषा के रूप में कुछ विषयों के लिए पन्द्रह साल तक प्रयोग की जाती रहेगी और हिन्दी को बढ़ाने और अंग्रेजी प्रयोग को कम करने की कोशिश की जाएगी। आज अंग्रेजी को क्लर्क, चपरासी की भर्ती के लिए भी अनिवार्य बना दिया गया है।

आज शिक्षा की हालत यह है कि देश में डेढ़-दो प्रतिशत को ही कॉलेज की पढ़ाई का अवसर मिल पाता है। शिक्षा का व्यवसायीकरण ही इसका प्रमुख कारण है। आज ऐसे लोग कॉलेज, व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोले हुए हैं जिनकी स्वयं की शिक्षा कुछ भी नहीं अथवा अल्प है और उनकी समृद्धि में बेतहाश वृद्धि हो रही है। पर देश की अस्सी प्रतिशत आबादी भयावह और लाचारी में जी रही है।

अंग्रेजी साम्राज्यवादी व्यवस्था लूट का साधन रही है। वह आम जनता की समस्याओं तथा आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील व्यवस्था का वाहक नहीं बन सकती। अंग्रेजी भाषा में काम करने के कारण हमारी शासन, प्रशासन व्यवस्था भ्रष्टाचार का दलदल बन गयी है और न्याय व्यवस्था पंगु। सरकार पर जनता की निगरानी अपनी भाषा के बिना नहीं रह सकती।

हिन्दी का उद्भव उथल-पुथल एवं झंझावत के युग से शुरू हुआ। यह संघर्ष में पली-बढ़ी है और अपनी जीवटता तथा जिजीविषा से आज तक अग्रसर है। इसकी

सबसे अच्छी विशेषता सबको आत्मसात कर लेने की है। किसी भी भाषा परिवार के शब्द इसके टकसाल में ढल जाते हैं और इसके अनुरूप अपना अस्तित्व बना लेते हैं। अपनी संघर्षशीलता के कारण ही यह विश्व के कोने-कोने तक पहुँच चुकी है। विश्व में जहाँ कहीं भी यह गिरमिटिया मजदूरों या खेतिहर मजदूरों के साथ गयी वह उनके संघर्ष के दिनों में स्नेह के लेप लगाती रही और अपने शासकों को अपनी भाषा के अनुसार ढलने को बाध्य कर दिया। जार्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भारतीय आर्य भाषाओं का सर्वेक्षण हिन्दी भाषा में करवाया तो फादर कामिल्क बुल्के हिन्दी पुत्र बनकर जिये। यह संघर्ष की भाषा है। इसी कारण आज भी अंग्रेजों के एजेण्ट इसे अधिकार से वंचित रखने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कभी इसकी दुरुहता को उठाया जाता है, कभी शब्दों की समृद्धि का अभाव बताया जाता है और कभी अन्य ओछे आरोप लगाये जाते हैं, जबकि आज यह विश्व की भाषाओं में सबसे अधिक समृद्ध है।

राष्ट्रभाषा हिन्दी पर आज प्रश्न चिह्न लगाया जाता है और अंग्रेजी का पिछलग्गू बनने की दलाली की जाती है। वे दूसरों की पूँजी को अपना समझकर आत्ममुग्ध हैं और उसकी अगवानी को व्याकुल रहते हैं। लेकिन सत्य यह है कि दूसरों के भरोसे रहने वालों में आत्मविश्वास नहीं होता, जिससे उनमें आत्मसम्मान नहीं आता। आज हिन्दी भाषी प्रदेशों को पिछड़ा, पुरानी सोच वाला बताया जाता है और पूरे भारतीय बाजार को विदेशी उपभोक्ता-अंग्रेजी भाषा वस्तुओं से पाटा जा रहा है। आज के इस दौर में हिन्दी प्रवास का दंश झेल रही है। सस्ते मजदूरों के रूप में उपनिवेशों में भेजे गये प्रवासियों ने आज हिन्दी को वैश्विक बनाया है। इसकी अन्तरराष्ट्रीयता अपनी जमीन की गहराई से जुड़ी है। हिन्दी भाषी लोग जब अपनी जीविका के लिए गैर हिन्दी भाषी क्षेत्रों में जाते हैं तो उन्हें चाहे जैसी भी भाषा सीखनी पड़े सीखते हैं। इसी का परिणाम है कि हिन्दी राष्ट्रीय सम्प्रेषण और बाजार की भाषा बनती जा रही है। पूँजीवादी शक्तियाँ हिन्दी भाषियों की मूलभूत समस्याओं—अशिक्षा, गरीबी, साम्प्रदायिकता, भ्रष्टाचार, जातिवाद आदि से भटकाकर तथा अपने जाल में फँसाकर उनकी आत्मनिर्भरता को तोड़ने का प्रयास कर रही हैं। अंग्रेजों द्वारा रचा गया यह कुचक्र बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। देश की प्रतिभाओं को लालच देकर खरीदा जा रहा है। ये कम्पनियाँ अपने व्यक्तिगत हितों को लक्ष्य बनाकर चलती हैं, किसी राष्ट्रहित से अपनी नीतियाँ निर्धारित नहीं करतीं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हिन्दी को स्वतन्त्रता संग्राम वाली अग्रणी पंक्ति की भूमिका में आकर भाषायी और क्षेत्रीय मतभेदों से ऊपर उठकर हरावल दस्ते वाली पृष्ठभूमि बनानी पड़ेगी।

प्रायः लिपि को लेकर भी हिन्दी पर प्रश्न उठाए जाते हैं और कहा जाता है कि हिन्दी में वर्णों की संख्या बहुत अधिक है। देवनागरी की तुलना अंग्रेजी के रोमन

से की जाती है। इस सम्बन्ध में नमूना प्रस्तुत है। रोमन में लिखाई के 26 बड़े अक्षर तथा 26 छोटे अक्षर हैं। फिर भी एक ही वर्ण कितने ढंग से लिखा जाता है—**bB dD eE gG iI lL rR sS tT**। ये सभी प्रयोग स्वीकृत हैं। देवनागरी के श, ष, स तथा र, ळ, ऴ चिह्न को लेकर आपत्ति की जाती है। हिन्दी ने अपने वर्णों में अधिक परिवर्तन, परिवर्द्धन किया है। इसके मानव वर्ण निम्नांकित प्रयुक्त होते हैं—

अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः।

क ख ग घ ङ। च छ ज झ ञ। ट ठ ड ढ ण ङ ढ। त थ द ध न न्ह। प फ ब भ म म्। य र ल व। श ष स ह। क्ष त्र ज्ञ श्र घ।

1980 के बाद में हमारे देश में औद्योगीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण की प्रक्रिया तेज हुई, जिससे अनेक विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ भारत आयीं, तो अपने साथ अंग्रेजी का पिटारा साथ लायीं। शुरू के तमाम चैनल अंग्रेजी में अपना कार्यक्रम लेकर देश में आये, मगर इनको हिन्दी अपनाना पड़ा क्योंकि इन्हें अपना लाभ कमाना था।

1991-92 से नये आर्थिक परिवेश की प्रक्रिया आरम्भ हुई, जिससे सामाजिक, आर्थिक उत्पादन एवं वितरण पद्धतियों की व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है। इस बदलाव ने भाषाओं को भी प्रभावित किया है। आज रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा के माध्यम से हिन्दी विश्व के कोने-कोने तक पहुँच चुकी है। हिन्दी आज विश्व में सबसे अधिक मुनाफे की भाषा है।

सन् 2000 के पश्चात् इक्कीसवीं सदी में विश्व पर बाजार हावी हो गया है। हिन्दी बाजार की भाषा बन चुकी है। इसके विज्ञापनों की संख्या बढ़ी है। बाजार की आवश्यकता से आज हिन्दी वह हिन्दी नहीं रह गयी जो पहले थी। निजी कम्पनियों के लिए हिन्दी क्षेत्र विस्तृत बाजार है। अतः हिन्दी का प्रयोग बाजार की आवश्यकता है। अपने उत्पादों को जनसामान्य तथा आम उपभोक्ता तक पहुँचाने के लिए हिन्दी का सहारा लेना पड़ रहा है। अपने माल के प्रचार-प्रसार, गुणवत्ता आदि के लिए हिन्दी अपनाना बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की विवशता है। सभी चैनल तथा फिल्म निर्माता अंग्रेजी कार्यक्रमों एवं फिल्मों को हिन्दी में डब करके प्रस्तुत करने लगे हैं। पत्र-पत्रिकाएँ, ज्ञान-विज्ञान एवं साहित्यिक पुस्तकें बहुत अधिक संख्या में हिन्दी में लिखी और छापी जा रही हैं। आज हिन्दी अपने मूल्य, आदर्श, श्रम, निष्ठा, चिन्तन, समझ, विवेक और अनुभव से विश्व बाजार की आधार-शिला बन चुकी है। वैश्विक स्तर पर यह व्यापार, वाणिज्य कला, संस्कृति तथा विज्ञान के क्षेत्रों में अग्रिम पंक्ति में है।

इक्कीसवीं सदी में हिन्दी को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त है। विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में हिन्दी के पठन-पाठन तथा अनुसन्धान की व्यवस्था है। भारतीय मूल के लोग विश्व में बिखरे हुए हैं। विदेशों से अनेक हिन्दी पत्र-पत्रिकाएँ—जापान

से सर्वोदय, ज्वालामुखी, जापान भारती, चीन से—सचित्रचीन, नार्वे से—शान्तिदूत, अप्रवासी टाइम्स, इंग्लैण्ड से—पुरवाई, अमेरिका से—सौरभ, विश्व विवेक आदि प्रकाशित हो रही हैं। इसी तरह अनेक देश अपने रेडियो पर हिन्दी कार्यक्रम—बी.बी.सी., वॉयस ऑफ अमेरिका, जर्मनी के रेडियो कोलोन की हिन्दी सेवा आदि प्रसारित करते हैं। प्रयोक्ताओं की संख्या के आधार पर हिन्दी अब पहले स्थान पर है—दैनिक हिन्दुस्तान 25 अप्रैल, 2005। हिन्दी को कम्प्यूटर के लिए सर्वश्रेष्ठ भाषा माना जाता है क्योंकि इसकी लिपि देवनागरी सबसे अधिक वैज्ञानिक है। इसकी विशेषता है—जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है। हिन्दी विश्व भाषा बन चुकी है। भारतवंशी जहाँ कहीं भी विदेशों में जा बसे हैं, वे वहाँ अपने साथ हिन्दी को भी ले गये हैं—सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिडाड, मारीशस, फिजी, घाना आदि। इन्होंने हिन्दी में साहित्य सृजन भी किया है।

भाषा की विविधता भारतीय समाज की विलक्षणता है। स्थानीय भाषाएँ अपने-अपने क्षेत्र में अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं के साथ प्रयुक्त होती हैं और क्षेत्र से बाहर के लिए हिन्दी का प्रयोग होता रहा है। किसी भी राष्ट्र की विरासत और सर्जनात्मकता को बनाये रखने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं का महत्त्व आवश्यक है। हिन्दी का पालन आम जनता के मध्य हुआ है। इसमें दूसरी भाषाओं के शब्द सम्मिलित होते रहे हैं। इस भाषा का प्रवाह बना हुआ है। भाषा की रचना—मजदूर, कुली, राजगीर, ताँगे व रिक्शे वाले, धर्मस्थलों एवं पर्यटक स्थानों के विक्रेताओं से होता है। आजकल समाचार पत्र तथा मीडिया वाले भी नये शब्दों को गढ़ रहे हैं। राजनीतिक पटल पर सामान्य वर्ग एवं आदिवासी नेताओं से हिन्दी का महत्त्व बढ़ा है, जिससे हिन्दी को नया आयाम एवं गरिमा मिली है। समाचारों, धारावाहिकों, फिल्मों, ग्राफिक्स, रीयलिटी शोज ने हिन्दी को विश्व भर में पहुँचा दिया है। संचार क्रान्ति ने हिन्दी को सर्वाधिक अग्रसर किया है, फलतः आज अंग्रेजी हिन्दी की अनुगामिनी बन रही है। हिन्दी को अपना मौलिक चिन्तन बनाये रखना होगा जिससे वह वैश्वीकरण के प्रभाव से बच सके। इसके लिए हमें आवश्यकतानुसार बदलाव करते रहना चाहिए।